न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 220/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

मनजीत कौर पुत्री जीवन सिंह जाति कुम्हार निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
–वादीया

बनाम्

1. गुरदीप सिहं पुत्र जीवन सिहं
2. सुखपाल कौर पत्नी हरदीप सिहं
3. अमृतपाल सिहं पुत्र हरदीप
4. अवतार सिह पुत्र हरदीप सिहं
5. अमनदीप कौर पुत्री हरदीप सिहं

(1 से 5) जाति कुम्हार निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीया
2. श्री दीपेन्द्र जाखड –वकील प्रति 1 ता 5

दिनांक :– 18.6.2024

निर्णय

वादीया मनजीत कौर ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 09–05–2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि कि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जो प्रतिवादी सं. 1 वादीया का सगा भाई है। प्रतिवादी सं. 3 ता 5 वादीया के भतीजे व भतीजी है। प्रतिवादी सं. 2 वादीया की भावी है। कि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जो मृतक जीवन सिहं के वारिश है वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता जीवन सिहं पुत्र भजन सिहं के नाम से चक नं. 6 बी.जी.पी.(ए.) खाता सं. 32/31 जं.सं. 2073–2076 में 0.292 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 के पिता जीवन सिहं की मृत्यु हो चुकी है। मृतक जीवन सिहं के नाम चक दर्ज भूमि में वादीया व प्रतिवादी सं. 1 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का 1/3 हिस्सा बहिब विरासतन बनता है। इसी अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीया ने प्रतिवादी गण से कईबार निवेदन किया है कि वादीया को चक नं. 6 बी.जी.पी.(ए.) खाता सं. 32/31 जं.सं. 2073–2076 में 0.292 है. में 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीया की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी सं. 6 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है ... व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र ... का निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीया निम्न प्रकार से डिकी ... जावें। कि ... 6 बी.जी.पी.(ए.) खाता सं. 32/31 जं.सं. 2073–2076 में 0.292 है. ... ब.हि.ब. ... सं. 2 ता 5 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्त... घोषित किया जाकर जी... पुत्र भजन सिहं का नाम कलम जन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की और से अधिवक्ता हाजीर अदालत हूऐ । अधिवक्ता प्रतिवादी स 1 ता 5 ने प्रार्थना पत्र पेश किया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के सम्पर्क मे नही होने के कारण उचित कार्यवाही किये जाने हेतू निवेदन किया न्याहित मे अधिवक्ता प्रतिवादी स 1 ता 5 को जवाव प्रस्तुत करने हेतू अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी स 1 ता 5 अधिवक्ता को जवाव हेतू बार बार अवसर प्रदान किये जाने पर भी काई जवाव प्रस्तुत नही किया न्यायहित मे प्रतिवादी स 1 ता 5 का जवाव बंद किया गया प्रतिवादी स 6 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हूआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी मे वादीया ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जं.बं. चक न 6 बी.जी.पी ए ज.स 2073–76 के खाता स 32/ कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 हैं। वकील वादी अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहते साक्ष्य बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि चक नं. 6 बी. जी.पी.(ए) खाता सं. 32/31 जं.सं. 2073–2076 में 0.292 है. में से वादीया व प्र.सं. 1 को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जीवन सिहं पुत्र भजन सिहं का नाम कलम जन किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीया ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए प्रतिवादी स 1 ता 5 ने बार बार अवसर प्रदान किये जाने पर भी जवाव प्रस्तुत नही किया न्याहित मे जवाव बंद किया गया जवाव पेश नही होने के कारण उक्त वाद पत्र मे तनकियत कायम किये जाने की काई आवश्यक्ता नही है प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिकी किया जाता हैं कि चक नं. 6 बी. जी.पी.(ए.) खाता सं. 32/31 जं.सं. 2073–2076 में 0.292 है. में से वादीया व प्र.सं. 1 को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व जीवन सिहं पुत्र भजन सिहं का नाम कलमजन किया जाता है। नर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.26 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 220/2021

वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

मनजीत कौर पुत्री जीवन सिंह जाति कुम्हार निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीया

बनाम्

1. गुरदीप सिहं पुत्र जीवन सिहं
2. सुखपाल कौर पत्नी हरदीप सिहं
3. अमृतपाल सिहं पुत्र हरदीप
4. अवतार सिह पुत्र हरदीप सिहं
5. अमनदीप कौर पुत्री हरदीप सिहं

} जाति कुम्हार निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 18.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीया मिन जामिन मुदई व श्री दिपेन्द्र जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक नं. 6 बी.जी.पी.(ए.) खाता सं. 32/31 ज.सं. 2073–2076 में 0.292 है. में से वादीया व प्र.सं. 1 को 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व जीवन सिहं पुत्र भजन सिहं का नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– **बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।**

खर्चा निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X......खर्चा निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......अदा करें। मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......X......अदा करें। मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक जारी किया गया। असल मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......18.6.2024......जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.26 16:50:43
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया